

श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री—सह—वित्त वाणिज्य—कर मंत्री के समक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 03 फरवरी 2021
को आयोजित राज्य के करारोपण (Taxation) से संबंधित बजट पूर्व बैठक
में समर्पित प्रमुख बिन्दुएं

A. जीएसटी से संबंधित

जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य स्तर पर लगाये जाने वाले कर यथा वैट, इन्ट्री टैक्स एवं केन्द्र स्तर पर लगाये जाने वाले कर यथा सर्विस कर, एक्सआईज डियुटी इत्यादि का जीएसटी में समावेश हो गया है एवं जीएसटी से जुड़े मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी कॉउन्सिल के द्वारा निर्णय लिया जाता है फिर भी व्यवसायियों एवं उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को बिहार चैम्बर आपके माध्यम से अपनी बातों को एवं सुझावों को रखते रहा है। इसी दिशा में जीएसटी से संबंधित हम अपनी बातें आपके माध्यम से रखना चाहेंगे जो निम्न है :-

1 नियम : 36 (4)

नियम 36 (4) को सरकार ने अक्टूबर 2019 से लागू किया था जिसके तहत करदाताओं द्वारा लिए जाने वाले इन्पुट टैक्स क्रेडिट पर पाबंदी लगाई गई और करदाता को अपने सप्लायर्स द्वारा अपलोड किए गए इन्वायस एवं डेविट नोट के आधार पर उपलब्ध इन्पुट टैक्स क्रेडिट का अधिकतम 20% राशि प्रोविजनल इन्पुट क्रेडिट के रूप में लेने की अनुमति दी गयी।

तीन माह बाद जनवरी 2020 से सरकार में 20% की सीमा को घटाकर 10% कर दिया लेकिन जीएसटीएन पोर्टल पर उक्त नियम को कार्यान्वित नहीं किया गया जिसकी वजह से इसका प्रभाव तुरंत महसूस नहीं हुआ। इसी बीच मार्च 2020 से देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जाने की वजह से इस नियम में सितम्बर 2020 तक छूट दी गयी अतः करदाताओं को विशेष परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। विगत तीन महीने से उक्त नियम के अन्तर्गत लगायी गयी पाबंदी की वजह से काफी परेशानी सामने आ रही थी लेकिन इसी बीच जनवरी 2021 से सरकार ने 10% की सीमा को घटाकर 5% कर दिया है।

सरकार का यह नियम जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि धारा 16 के अन्तर्गत इस तरह की कोई शर्त नहीं होती है।

दूसरी बात, सप्लायर्स द्वारा देरी करने पर क्रेता को दण्ड दिया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है

अतः इस नियम को हटाने की जरूरत है अन्यथा जीएसटी के मूल स्वरूप सप्लायर द्वारा लोड नहीं किए गए ट्रांजेक्शन को अपनी तरफ से अपलोड करने की सुविधा दी जानी चाहिए (जैसा कि GSTR-2 में प्रावधान किया गया था) ताकि क्रेता को वेवजह नगद भुगतान ना करना पड़े।

2 नियम 86 B –इन्पुट टैक्स क्रेडिट से कर का 99% समायोजन

सरकार ने जनवरी 2021 से एक नया नियम 86B लागू कर दिया है जिसके तहत करदाताओं को अब कम से कम 1% देय कर का भुगतान नगद खाते से करना होगा। उक्त नियम में कुछ छुट दी गई है लेकिन जिन पर भी यह नियम लागू होता है उनपर इस तरह की शर्त लगाना जीएसटी के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

इस नियम को तुरंत हटाया जाना चाहिए।

3 नियम 138 –ईवे बिल

सरकार ने जनवरी 2021 से ईवे बिल की वैधता की समय सीमा में बदलाव करके प्रत्येक 100 किमी पर 1 दिन के बजाय प्रत्येक 200 किमी पर एक दिन की समय सीमा कर दी है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है । छोटी दूरी के लिए यह ज्यादा समस्या पैदा कर रही है। अतः पहले की तरह समय सीमा को पुनः बहाल किया जाना चाहिए।

4 नियम 21 A – पंजीकरण बर्खास्त करने के प्रावधान

सरकार ने नियम 21 A के प्रावधानों में बदलाव करके जनवरी 2021 से कर अधिकारियों को ऐसा अधिकार दे दिया गया है जिसके तहत करदाता को बिना सुनवाई का मौका दिए पंजीकरण बर्खास्त किया जा सका है ।

ऐसा करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है क्योंकि बिना सुनवाई का मौका दिये पंजीकरण बर्खास्त करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा।

5 GSTR-3B में भूल सुधार

वर्तमान स्वरूप में करदाता द्वारा फाईल की गई मासिक रिटर्न GSTR-3B को किसी भी तरह की भूल की स्थितियों में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

भूल होना स्वभाविक है अतः भूल सुधार कर मौका नहीं दिया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। यदि GSTR-3B को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो हमारा यह सुझाव होगा कि यह निम्न सुविधा दी जानी चाहिए ताकि किसी भूल को आसानी से रिटर्न में परिलक्षित किया जा सके:—

- (i) मासिक फाईल की जाने वाली GSTR-3 में आउटपुट कर देयता एवं इन्पुट क्रेडिट दोनों के लिए विगत माह में हुई भूल की राशि के लिए एक अलग से कालम दिया जाये।

- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 12 महीनों के लिए फाईल की जानेवाली GSTR-3B के अतिरिक्त एक अन्य GSTR-3B, जिसका नामकरण GSTR-3B- भूल सुधार/परिवर्तन का प्रावधान किया जा सकता है। जिसे की वार्षिक रिटर्न के पूर्व तक फाईल किया जा सकता है। ऐसा करने से किसी भी वित्तीय वर्ष की भूल का सुधार किया जा सकेगा और दूसरा वित्तीय वर्ष उससे प्रभावित भी नहीं होगा।

6 जीएसटी की धारा 16(4) के अन्तर्गत इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में

जीएसटी के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित इनपुट क्रेडिट को प्राप्त करने की समय सीमा अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर महीने के रिटर्न फाइलिंग की नियत तारीख तक निर्धारित की गई है।

ऐसा देखने में आता है कि वार्षिक रिटर्न फाइल करने के समय कई अशुद्धियां पाई जाती है जिनका सुधार आवश्यक होता है। लेकिन उक्त प्रावधान की वजह से रिटर्न में उसका सुधार करके लाभ प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः उक्त समय सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। हमारा सुझाव है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इनपुट क्रेडिट को प्राप्त करने की समय सीमा को वार्षिक रिटर्न से जोड़ना चाहिए एवं वार्षिक रिटर्न में उक्त भूल को सुधार करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कम से कम वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए समय सीमा को अवश्य बढ़ा देना चाहिए। कम से कम 2019-20 के लिए समय सीमा को अवश्य बढ़ा देना चाहिए जिसके बहुत सारे कारण हैं और वार्षिक रिटर्न भी अभी तक अधिकांश करदाताओं द्वारा फाईल नहीं की गयी है।

7 GSTR-1 के लिए लागू विलंब शुल्क की माफी

जीएसटी के प्रावधानों के तहत GSTR-1 के लिए भी विलंब शुल्क देय होता है लेकिन चूंकि GSTR-1 की फाइलिंग में देरी होने पर देय विलंब शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ता है अतः करदाताओं को विशेष परेशानी महसूस नहीं हो रही है।

परन्तु कर निर्धारण के वक्त कर अधिकारी द्वारा उक्त विलंब शुल्क को आरोपित किया जा सकता है। अतः हमारा सुझाव होगा कि GSTR-1 के लिए एक माफी स्कीम दी जानी चाहिए। जिसके तहत एक निर्धारित तिथि तक यदि रिटर्न फाइल कर दी जाती है अथवा कर दी गयी हो तो किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क माफ कर दिया जाना चाहिए।

उदाहरणस्वरूप सरकार ने 40वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में GSTR-3B के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया लेकिन GSTR-1 के लिए नहीं किया जो कि बाद में परेशानी का कारण बन सकता है।

8 जीएसटी बिलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि को वापस करना :

जीएसटी के प्रावधानों के अंतर्गत निबंधित संस्थाओं को रिटर्न फाइल करने में देय तिथि से बिलम्ब होने पर बिलम्ब शुल्क का भुगतान करना होता है। एक नई कर प्रणाली होने की वजह से जानकारी के अभाव में एवं जीएसटी पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से अथवा अन्य कारणों से बहुत सारी संस्थाएं रिटर्न फाइल नहीं कर पाती थीं अथवा नहीं करती थीं। रिटर्न फाइलिंग के अत्यधिक निम्न प्रतिशत को देखते हुए सरकार ने वैसी संस्थाओं को रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रोत्साहन करने हेतु पूर्व

में दो बार बिलम्ब शुल्क माफ किया था और जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में दोबारा एक बार रिटर्न फाइलिंग के लिए सुनहरा मौका दिया गया और देय बिलम्ब शुल्क में माफी की घोषणा की गई। बिलम्ब शुल्क माफ करने का सरकार का निर्णय निःसंदेह सराहनीय था लेकिन दुख इस बात का हुआ कि इस सुविधा का लाभ उन संस्थानों को नहीं दिया गया जिन्होंने बिलम्ब शुल्क के भुगतान के साथ घोषणा के पूर्व में ही रिटर्न फाइल कर दी थी।

हमारा सरकार से निरंतर आग्रह रहा है कि समरूपता के सिद्धांत पर बिलम्ब शुल्क माफी का लाभ उन संस्थाओं को भी मिलना चाहिए जिन्होंने बिलम्ब शुल्क का भुगतान करके घोषणा के पूर्व रिटर्न फाइल कर दी थी। अन्यथा बिलम्ब शुल्क का भुगतान करके रिटर्न फाइल करनेवाली संस्थाएं अपने को ठगा महसूस करती हैं की उन्हें भी रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए थी जो कि एक गलत सोच को प्रेरित करता है।

यदि बिलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि यदि संस्थान को लौटा दी जाती है तो यह एक सही कदम होगा एवं ऐसा करने से उद्योग एवं व्यापार जगत से जुड़े लोगों के मन में भी सरकार की उदार एवं सहयोगात्मक भावना प्रदर्शित होगी एवं सरकार से किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं रहेगी।

आज की परिस्थिति में जब कोविड-19 से बचाव हेतु देशभर में लॉकडाउन किया गया एवं जिसकी वजह से उद्योग एवं व्यापार जगत को काफी नुकसान उठाना पड़ा, नुकसान की भरपाई में कुछ सहयोग करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जीएसटी में निबंधित संस्थाओं द्वारा बिलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि को अवश्य वापस कर देना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें कुछ सहूलियत मदद मिलेगी।

9. ऐसा देखने में आ रहा है कि स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा करदाताओं को उनकी कुल आउटपुट कर देयता पर ब्याज की मांग की जा रही है जबकि ब्याज नकद भुगतान की जानेवाली राशि पर देय होता है। यद्यपि जीएसटी में इस दिशा में दिशा-निर्देश दे दिए हैं लेकिन राज्य सरकार ने संभवतः ऐसा नहीं किया है अतः इस संबंध में विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया जाना चाहिए।
10. ऐसा देखने में आ रहा है कि करदाताओं को बेवजह छोटी-छोटी फर्क अथवा कमियों के लिए नोटिश जारी की जा रही है। उदाहरण के लिए GSTR-2A/2B एवं GSTR-3B में इनपुट क्रेडिट में थोड़ा फर्क रहने पर भी नोटिश जारी किया जा रहा है। GSTR-3B एवं 2A में फर्क होना स्वभाविक है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जैसे – सप्लायर द्वारा माल जिस महीने में डील किया जाता है क्रेता द्वारा वह माल अगले माह में प्राप्त होना। हमारा सुझाव होगा कि जब-तक कि कोई बड़े रकम की करवंचना नहीं दिखती है करदाताओं को नोटिश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश व्यवसायी स्वयं तो रिटर्न फाइल करते नहीं हैं और उस तरह की नोटिश आने पर उनको एकाउन्टेंट से सम्पर्क करना पड़ता है जिससे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं।
11. जीएसटी लागू होने के पूर्व भी राज्य का तथा केन्द्र का दो कानून (Sales Tax/VAT एवं Central Sales) था लेकिन इसका संचालन केवल राज्य के विभाग से किया जाता था लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद एक कानून जीएसटी होने के बाद भी इसका Operation बांटकर State GST एवं Central GST को दिया गया है। फलस्वरूप व्यवसायियों को दो-दो ऑथोरिटी का सामना करना पड़ता है जिससे व्यवसायियों को असुविधा हो रही है। अतः इसे केवल एक ही ऑथोरिटी के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।

B मुल्यवर्धित कर वैट से संबंधित

1. फार्म C/ F में सुधार/निरस्तीकरण/नया जारी करना

वैट के समय राज्य में ऐसे पंजीकृत करदाता, जो फार्म C/F के खिलाफ अंतरराज्तीय खरीददारी करते थे वे अपने आपूर्तिकर्ता को वैधानिक प्रपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन बहुत सारे करदाता हैं जो विभिन्न कारणों से ऐसा करने में विफल रहे हैं पहले से ऑनलाईन जारी किए गए फार्मों में सुधार/संशोधन/संशोधन रद्द करने की आवश्यकता है ।

यह विस्मृत है कि अपने संबंधित आपूर्तिकर्ता को प्रपत्र जारी करने में विफलता के मामले में, ऐसे व्यक्ति अपने आपूर्तिकर्ता को अंतर कर, ब्याज और जुर्माना आदि की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि काउंटर पार्टी सेल्स टैक्स विभाग द्वारा लगाया जाता है ।

करदाताओं को केवल इस आधार पर पीड़ित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म जारी करने में गलती की है ओर एक बार जारी किए गए फॉर्म को ठीक नहीं किया जा सकता है।

यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार को वात अवधि के लिए नए फॉर्म C/F जारी करने और सीमित समय अवधि के लिए खिड़की खोलने के लिए पहले से जारी प्रपत्रों में सुधार/सुधार करने का अवसर देना चाहिए ताकि वात से संबंधित सभी चीजें साफ हो जाए।

यह सरकार को किसी भी नुकसान के बिना कई करदाताओं को राहत देगा और हम मामले में तत्काल कार्रवाई चाहते हैं।

C. रजिस्ट्रेशन से संबंधित

1. निर्मित भवन(अचल संपत्ति)के निबंधन हेतु मूल्यांकन रकम के निर्धारण संबंधित

सरकार द्वारा अचल संपत्ति के निबंधन हेतु निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू) की अलग-अलग लोकेशन/क्षेत्र के अनुरूप भिन्न-भिन्न सर्किल रेट निर्धारित की जाती है।

वर्तमान नियमों के तहत किसी भी निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू दोनों के लिए) के निबंधन हेतु उस भवन की लोकेशन के आधार पर सर्किल रेट से मूल्यांकन किया जाता है और साथ में भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी की लागत अलग से जोड़ी जाती है। इस तरह एक बार भूमि की लागत निर्मित भवन की सर्किल रेट में सम्मिलित हो जाती है और दूसरी बार भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी के रूप में दूबारा जुड़ जाती है।

विगत वर्षों में सर्किल रेट में कई-कई बार बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशतः किसी भी अचल निर्मित संपत्ति के निबंधन हेतु मूल्यांकन रकम उसके वास्तविक क्रय रकम से अधिक हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्रेता को आयकर नियमों के तहत भी झेलना पड़ता है।

देश भर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जब कि भूमि की लागत अलग से जोड़ी जाती हो। यद्यपि अनुपातिक हिस्सेदारी पर भी क्रेता का पूरा अधिकार होता है ।

हमारा सुझाव होगा कि भूमि पर क्रेता को अनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार रखते हुए भूमि की लागत को मुल्यांकन रकम में अलग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह एक गंभीर मसला है जो कि काफी समय से चला आ रहा है लेकिन पूर्व में सर्किल रेट कम होने की वजह से इसका दुष्प्रभाव विशेष नहीं झेलना पड़ता था। लेकिन धीर-धीरे सर्किल रेट में वृद्धि होने के बाद आज निबंधन हेतु मुल्यांकन की रकम भूमि के अनुपातिक हिस्सेदारी को अलग से जोड़ने की वजह से वास्तविक लेन-देन की राशि से अधिक हो जा रहा है। इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की नितांत आवश्यकता है।

D. वाहनों पर पथ कर की दर

1. हमारे राज्य में पड़ोसी राज्य की अपेक्षा पथ कर अधिक होने की वजह से बहुत बार क्रेता (विशेष कर महंगे वाहन के लिए) अपना वाहन दूसरे राज्य से खरीद लेते हैं। परिणामस्वरूप हमारे राज्य को उस बिक्री पर मिलने वाली SGST की रकम प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साथ जब वो वाहन हमारे ही राज्य में अवस्थित सर्विस केन्द्र पर सर्विस सुविधा लेता है तो उस पर मिलने वाली GST की राशि हमारे राज्य को प्राप्त नहीं होती है क्योंकि वाहन दूसरे राज्य के पते पर निबंधित होता है।

अतः हमारा सुझाव होगा कि इसका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे कि राज्य की आय दूसरे राज्य को जा रही है उसे रोका जा सके।

पटना

दिनांक: 3 फरवरी 2021